न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद सं०–M 31/2019

धारा–145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रवि खंडित वगैरह .....प्रथम पक्ष

बनाम

विष्णु खंडित वगैरह.....द्वितीय पक्ष

	आदेश	
13·10·2020	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में उभय पक्षों के बीच दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए निम्न विवाउित जमीन पर दोनों पक्षों को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।	

भूमि का विवरणी

मौजा–ताऊ , थाना–बुण्डू, थाना संख्या–27 जिला–राँची

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
69	936 डी	96 डी0	उ०–कामेश्वर यादव
	936 ई	76 डी0	द०–तापस दत्ता वगैरह
			पू०–तापस दत्ता वगैरह
			प०– मौजा एदेलहातु सीमा

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. विवादित जमीन को प्रथम पक्ष की पैतृक खतियानी संपति है। जो प्रथम पक्ष के दादा रामजीवन खंडित को पार्टीशन सूट वाद संख्या–95/1950, माननीय, न्यायालय सब जज राँची के आदेश दिनांक 08/09/1950 ईस्वीं के आलोक में बँटवारा पर मिला है। उपरोक्त संपति पर प्रथम पक्ष का पूर्वजो से अबतक शांति पूर्वक दखल कब्जा कायम है। द्वितीय पक्ष ने विवादित भूमि को जरजोबरजस्ती कब्जा करना चाहते है।

2. यह है कि विवादित भूमि आर0 एस0 खतियान में रामजीवन खंडित वो भीम खंडित वो शत्रुधन खंडित पेशरान जगरनाथ खंडित कौम खंडिम साकिन बुण्डू वो हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत रामजीवन खंडित के वंशज है एवं द्वितीय पक्ष के कमांक–1 खतियानी रैयत शत्रुधन खंडित के वंशज है। पार्टीशन सूट वाद संख्या–95/1950, में द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने हिस्से में मिले भूमि से अधिक भूमि की बिकी कर चुके है। जो नजायज है।

3. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल कार्यालय में पार्टीशन सूट वाद संख्या–95/1950 ई0 के आदेश को छिपा कर दाखिल–खारिज कराया गया है। जो कि बात में उनके दाखिल खारिज को निरस्त किया गया है।

4. यह है कि द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कहते है कि माननीय, न्यायालय मुंसिफ कोर्ट राँची के न्यायालय में बँटवारा केस संख्या–310/1965 के तहत श्रीमती हरिदासी खंडित बनाम रथु खंडित के बीच वाद चला था। जिसका आदेश दिनांक 24/04/1976 दर्शाया गया है। जिसमें द्वितीय पक्ष में उक्त भूमि मिली है। जो कि अभिलेख अभिलेखाकर में जमा नहीं है। यानी मुकदमा चला ही नहीं था।

13·10·2020.

5. यह है कि विवादित भूमि को लेकर माननीय, न्यायालय सब जज राँची में पार्टीशन सूट वाद संख्या–157/2014 लंबित है। माननीय, न्यायालय सब जज 10 राँची में विविध वाद संख्या–116/2019 लंबित है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का कोई दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्ष को रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

<u>द्वितीय पक्ष का पक्ष</u>

द्वितीय पक्ष के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष बहस किया गया एवं निम्न बतलाया गया :–

1. विवादित जमीन आर0 एस0 खतियान में रामजीवन खंडिम वो भीम खंडित वो शत्रुधन खंडित के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष के कमांक–1 विष्णु खंडित खतियानी रैयत शत्रुधन खंडित के वंशज है। यह है कि पार्टीशन सूट वाद संख्या–310/1965 ईस्वीं हरिदासी खंडित बनाम, रथु खंडित के वाद चला। जिसमें दिनांक 30/04/1976 ई0 को आदेश पारित किया गया। पार्टीशन सूट वाद में द्वितीय पक्ष के माता हरिदासी खंडित को खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–936 रकवा–1.72 ए0 एवं प्लॉट संख्या–929, रकवा–2.00 ए0 मिला है।

2. यह है कि पार्टीशन सूट संख्या–310/1965 के आदेशानुसार अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराया एवं लगातार मालगुजारी देते आ रहे है। द्वितीय पक्ष के कमांक–3 मोजाहिदुल इस्लाम उर्फ टुनु खान एकरारनामा होल्डर है। प्रथम पक्ष के द्वारा दायर पार्टीशन सूट वाद संख्या–157/2014 खारिज हो चुका है। विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है जो सरासर गलत है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–145 के तहत प्रथम पक्ष को रोक लगाते हुए द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने, एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को लेकर माननीय, न्यायालय सब जज 10 राँची में विविध वाद संख्या–116/2019 लंबित है। ऐसी स्थिति में द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि विवादित भूमि पर ऐसा कार्य न करे जैसा कि शांति भंग होने की संभावना हो। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्यवाही को बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

8:12/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

8:12/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)